RAJYA SABHA

Wednesday, the 17th December, 2008/26 Agrahayana, 1930 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question 221.

Checking smuggling of unlicensed arms

*221. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:††

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is aware that possession of unlicensed arms is thriving in the country, particularly in the capital;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the smuggling of illegal weapons has increased in the past few years and the various security agencies have failed to check this rising trend of unlicensed arms; and

(d) if so, the plans formulated by Government to check the smuggling of unlicensed arms in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Regarding "Checking smuggling of unlicensed arms"

(a) There are many unlicensed arms in the country. However, there are no reports suggesting increase in possession of unlicensed arms in in the country, particularly in the capital.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Though there is no increase in the smuggling of illegal weapons, the Government has initiated several measures to curb instances of smuggling of unlicensed weapons which include,

---

††The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Shobhana Bhartia.

inter alia, effective domination of the border by carrying out round-the-clock surveillance of the order patrolling and by deploying observation posts all along the International Border, effective fencing along the International Border, flood lighting of the border to enhance the observation, construction of Border Roads to facilitate border patrolling, introduction of modern and hi-tech surveillance equipments, upgradation of intelligence network and coordination with agencies under the umbrella of lead intelligence agencies, meetings of which are held at functional and directional levels. Regular coordination is also being maintained with Army and local Police. The State and UT Governments have also been urged to make sustained and continued efforts to unearth illegal weapons.

डा0 ऐजाज़ अली: सर, मैं एक सवाल अर्ज करना चाहता हूं।

ڈاکٹر اعجاز علی: سر، میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔

श्री सभापति: यह सवाल का वक्त नहीं है।...**(व्यवधान)**...

डा0 ऐजाज़ अली: सर, यह दूसरे सब सवालों से ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है।...**(व्यवधान)**...

ڈاکٹر اعجاز علی: سر، یہ دوسرے سب سوالوں سے زیادہ امپورٹینٹ سوال ہے ۔۔مداخلت۔۔

श्री सभापति: देखिए, जो ऑर्डर है, उससे सवाल होगा।...**(व्यवधान)**...

डा0 ऐजाज़ अली: क्या घटना हुई, यह बताना चाहिए।...**(व्यवधान)**...पूरे देश को बताना चाहिए।... **(व्यवधान)**...

ڈاکٹر اعجاز علی: کیا گھٹنا ہوئی، یہ بتانا چاہئے ۔۔مداخلت۔۔ پورے دیش کو بتانا چاہئے۔۔مداخلت۔۔

MR. CHAIRMAN: Doctor *saab*, this is not the time for it. Please allow the question to proceed.

डा0 ऐजाज़ अली: यह नहीं है तो इस तरह के सवाल ...**(व्यवधान)**... सदन में हमें एक मिनट के लिए इजाजत दे दी जाए।...(व्यवधान)...

ڈاکٹر اعجاز علی: یہ نہیں ہے تو اس طرح کے سوال ۔۔مداخلت۔۔ سدن میں ہمیں ایک منٹ کے لئے اجازت دے دی جائے ۔۔مداخلت۔۔

MR. CHAIRMAN: Please, doctor saab *...(Interruptions)...* Please. Question 221. *...(Interruptions)...* इस वक्त आप जो भी कहेंगे, it will not go on record. आप सिर्फ अपने साथियों का वक्त जाया करेंगे।...**(व्यवधान)**... Please sit down.

डा0 ऐजाज़ अली: *

MR. CHAIRMAN: Please resume your place. *...(Interruptions)...* Doctor *saab*, this is wrong. You know that it is wrong. Please don't do that.

डा0 ऐजाज़ अली: *

---

*Not recorded.

Transliteration in Urdu Script.

श्री सभापति: आप इस वक्त इस सवाल को नहीं उठा सकते।...**(व्यवधान)**... डा0 साहब, प्लीज़ बैठिए। Please. Nothing that you are saying will go on record. Please resume your place.

डा0 ऐजाज़ अली: *

MR. CHAIRMAN: Please resume your place. Otherwise, I will be forced to invoke the rule against the Member. Please resume your place.

डा0 ऐजाज़ अली: *

MR. CHAIRMAN: Please, resume your place. Otherwise, I will be forced to invoke the rule. Please do not do that.

डा0 ऐजाज़ अली: *

MR. CHAIRMAN: Please, I mentioned to you, I will ask the Member to withdraw from the House if he utters another word.

Please proceed. Question 221.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, almost 14 per cent of the 33,000 people who were murdered in the country last year were killed using a firearm, and more than 85 per cent of these were actually killed using unlicensed firearms. So, it is very apparent that we have a huge problem there and there is a rampant use of unlicensed firearms. There are cottage industries thriving in parts of western Uttar Pradesh, Munger and many other areas. Besides that, arms are also being smuggled in from the neighbouring countries. My question to the hon. Minister, Sir, is, would the Central Government consider intensifying the review of the action taken by the State Governments in this regard, because the use is increasing? Secondly, has the Government escalated the matter to the neighbouring countries? What measures have they taken? Are they proposing to retrain BSF in a way to try and prevent the smuggling of these arms?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है, वह वास्तव में गंभीर प्रश्न है। यह हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी तथा हमारे देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर बहुत गंभीर असर डालती है। सर, जहां तक तस्करी की बात है, जो व्यवस्था भारत सरकार ने इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर पर या पाकिस्तान बॉर्डर पर की है, उसके माध्यम से तस्करी पहले से बहुत कम हुई है। हथियारों के बारे में माननीय सदस्या ने कहा है कि हथियारों की तस्करी और हथियार हमारे देश में बहुत ज्यादा उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। उनकी संख्या में भी काफी गिरावट आयी है। हमने राज्य सरकारों से समय-समय पर यह बात कही है कि वे अपने अपने प्रदेशों में कानून और व्यवस्था के ऐंगल से और देश की इंटरनल सिक्योरिटी के ऐंगल से इस बात को सुनिश्चित करें कि इस तरह के अवैध हथियार कहीं न बनाए जाएं और अगर बनाए जाएं तो उनकी कसकर पकड़-धकड़ होनी चाहिए तथा अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए जिससे वे इस ओर अग्रसरित न हों, इस ओर आगे न बढ़ पाएं। जहां तक विदेश से स्मगलिंग का सवाल है, हमारे इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ है जो इस बात को सुनिश्चित करती है...।

कि विदेशों से हथियार स्मगल न किए जाएं। हमारे इंडो-नेपाल बार्डर पर SSB है, जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि नेपाल की तरफ हथियारों की तस्करी न होने पाए। हमारी BSF कश्मीर बार्डर पर भी है और इंडो-पाकिस्तान बार्डर पर भी है। हमने अपनी सभी पैरा मिलिट्री फोर्सेज को यह कह रखा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये हथियार तस्कर होकर न आने पाएं। इसके परिणाम भी अच्छे दिखलाई पड़ रहे हैं। मैंने जो रिजल्ट प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्या को भी दिया है, वह यह बताता है कि हथियारों की

*Not recorded.

तस्करी में भी कमी आई है और हथियारों की पकड़-धकड़ भी काफी तेजी के साथ हुई है। स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी पकड़-धकड़ काफी तेजी से की है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस गंभीर स्थिति की ओर माननीय सदस्या ने ध्यान आकर्षित किया है, उस पर काफी कुछ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, going by media reports about the number of arms being seized every now and then does not seem to indicate that indeed the smuggled arms across the border are coming down. India was part of the 28-Member Group constituted by the UN to look at the Arms Trade Treaty. I want to ask the hon. Minister what are the difficulties of the Treaty? Why is there a need for such a Treaty considering that most of the arms are coming and are being encouraged by non-State actors, and not officially by the countries? So, are we contemplating being a signatory? If so, what would the benefits be? Would it actually curtail smuggling of arms?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, जहां तक तस्करी की बात है, माननीय सदस्या को मैंने पहले भी बताया है, मीडिया में क्या रिपोर्टें छप रही हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर पकड़-धकड़ तेज हुई है, तो यह एक अच्छी खबर है कि काफी तादाद में लोग पकड़े जा रहे हैं, काफी तादाद में हथियार पकड़े जा रहे हैं। आने वाले समय में इस पकड़-धकड़ को और तेज किया जाएगा, जिससे तस्करी भी रुकेगी और जो कंट्री मेड हथियार हैं, उनके बनने पर भी रोक लगेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में- जहां तक संधि की बात है, हम अपने देश में किसी भी तरह के अवैध हथियार को आने नहीं देगें, यह हम सदन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर जो लोग अवैध हथियार बनाने का काम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारों के सहयोग से उनको भी रोकने में हम पूरी तरह सफल होगें।

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Sir, my question was on the ATT which he has not answered. Are we going to be a signatory; what are the benefits? That is my second supplementary.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, जब तक संधि को देखा न जाए कि संधि में कौन-कौन सी शर्तें हैं और उनसे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, जब तक उसका विस्तृत ब्यौरा सामने न आ जाए, तब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। मैं माननीय सदस्या को एक बात से एंश्योर करना चाहता हूं कि हमारे देश में हथियारों की अवैध तस्करी नहीं हो पाएगी, इसमें सुनिश्चित करने का काम हम जरूर करेंगे।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस समस्या को गंभीर माना है और उनका कहना है कि अवैध हथियारों की तस्करी में वृद्धि नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में ऐसे कितने तस्करी करने वाले लोग पकड़े गए? यह ठीक कहा है कि भारत और बंगलादेश, भारत और नेपाल बोर्डर पर हमारी BSF के जवान और फोर्सेज हैं, लेकिन इसके बाद भी माननीय सभापति जी अगर आप देखें कि दिल्ली में आए दिन इतनी घटनाएं हो रही हैं और जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें विशेष रूप से नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली में हत्याओं का दौर बढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि वर्ष 2008 में ऐसे अवैध हथियार बनाने वाले और जो दिल्ली में कुटीर उद्योग चला रहे हैं, वे कितने लोग पकड़े गए हैं? आपकी यह संधि बहुत ठीक है। आपने बाकी का जवाब दिया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली हमारी राजधानी होने के साथ-साथ, दिल्ली का अपना महत्व है। दिल्ली में इस प्रकार की तस्करी न बढ़े, इसके लिए आपने कौन से उपाय किए हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में इस तरह की तस्करी न बढ़े और कंट्री में हथियार भी न बनने पाएं, इसके लिए कितने छापे मारे गए और कितनी सख्ती की गई, यह उसी का परिणाम है कि दिल्ली में बहुत सारे हथियार, बहुत सारे कल्प्रिट, जो इसमें संलग्न थे, वे पकड़े गए हैं। मैं उसका ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं - 2005 में 8,172 केस रजिस्टर किए गए, 2007 में 6,266 केस रजिस्टर किए गए, 5,989 अपराधी पकड़े गए, 2897 को सजा दिलाई गई। दिल्ली में पकड़-धकड़ कम हो रही है या दिल्ली में सख्ती कम हो रही है, यह कहना उचित नहीं है। हम समझते हैं कि देश के टॉप के दो-तीन राज्यों में दिल्ली है। ये आंकड़े यही बताते हैं कि इस तरह की कार्यवाही काफी तेजी और सख्ती के साथ की जा रही है।

SHRI PENUMALLI MADHU: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the Government of India does not maintain any record with regard to the licensed arms. Even licensed arms' record is not being maintained in any State. In my own State, in Hyderabad, no such record is being maintained. Under the RTI Act, I sought information regarding licensed arms, and the reply came that no such record was maintained with regard to the licensed arms. What is the Ministers answer on this?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट कानून है कि बगैर लाइसेंस कोई हथियार नहीं रख सकता है। लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है, जिलाधिकारी देता है, जिसका पूरा रिकॉर्ड जिलाधिकारी के पास उपलब्ध रहता है। मुझे नहीं पता कि आपने किस स्टेट में क्या रिकॉर्ड मांगा और आपको क्या रिकॉर्ड नहीं मिला...**(व्यवधान)**...

श्री पेनुमल्ली मधु: हैदराबाद में।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं नहीं समझता हूं कि चाहे हैदराबाद हो या देश का कोई भी सूबा हो, इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, यह कहना उचित नहीं है। आपने कैसे मांगा और कैसे नहीं मिला, यह मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह सारा देश और हमारे सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि सारे हथियार लाइसेंस के तहत ही रखे जाते हैं और लाइसेंस का बाकायदा रिकॉर्ड होता है। वह चाहे हैदराबाद हो, लखनऊ हो, पटना हो या देश का कोई भी सूबा हो, ऐसा संभव नहीं है कि रिकॉर्ड न रखा गया हो। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम एक लैटर हैदराबाद भेज देंगे, कोई रिकॉर्ड आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे।

श्री महेन्द्र मोहन: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने लीगल हथियारों की बात कही है, लोगों को वैध हथियार दिए जाते हैं, लेकिन जब कभी भी कहीं पर कोई टेंशन होती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें कि जिन्हें लाइसेंस के अंतर्गत हथियार दिए गए हैं, उनसे कहा जाता है कि आप हथियार जमा करा दीजिए। आप कोई ऐसा नियम बनाएं, जिसमें कि जो हथियार लाइसेंस के अंतर्गत लोगों को सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं, जो वैध हथियार दिए गए हैं, उनको उस मौके पर, जबकि हथियारों की जरूरत होती है, जमा कराने के लिए विवश न किया जाए। वहां पर उन्हें जिलाधीश और पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना परेशान किया जाता है कि वैध हथियारों को तो जमा करा लिया जाता है और अवैध हथियारों से सब गलत काम किए जाते हैं। मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें और ऐसे निर्देश जारी करें कि वैध हथियारों को जमा कराने का सिस्टम खत्म हो।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, यह कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य सरकार की परिधि में आती है। कौन सी राज्य सरकार कब क्या आवश्यकता महसूस करती है, जिस जिले में महसूस करती है, किस थाना क्षेत्र में महसूस करती है, वह उस तरीके की व्यवस्था उस थाना क्षेत्र और उस जिले में करती है। उसमें हम लोगों से कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता है। राज्य सरकारें यदि चाहें तो इस तरीके की व्यवस्था को बंद कर सकती हैं। राज्य सरकारें यदि चाहें तो कानून ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: जो आपके कब्जे में है, उसका क्या होगा? चुनाव के समय आपने दिल्ली में ...**(व्यवधान)**... करवा दिया था।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आप भी किसी न किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां प्रत्येक राज्य में उत्पन्न होती है, जब हथियार जमा कराना उचित जान पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा और माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जिस राज्य से वे बिलोंग करते हैं, ये उस राज्य सरकार से कह सकते हैं कि वह कोई ऐसा कानून बनाए कि कभी भी हथियार न जमा कराना पड़े।

श्री महेन्द्र मोहन: आप राज्य सरकारों को निर्देश दे सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Please, do not interrupt.

श्री दिग्विजय सिंह: लेकिन दिल्ली तो इनके पास है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब राज्य सरकारों को हथियारों को जमा कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 222. Shri V. Hanumantha Rao.

New Task Force to tackle terror and naxals

*222. SHRI V. HANUMANTHA RAO:††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Prime Minister has desired that a new Task Force should be set up to tackle terror and naxals;

(b) whether Government has now agreed to set up a Task Force headed by the National Security Adviser to go into the emerging challenges of terrorism, naxalism and insurgency; and

(c) if so, what concrete measures in this regard have been taken and by what time it will be functioning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Prime Minister in the Conference of Directors General of Police/Inspectors General of Police and Chiefs of Central Police Organisations held on 22-23.11.2008, suggested establishment of Task Force which should initiate a 100 days plan to develop an integrated capability to address emerging challenges in areas such as Left Wing Extremism (LWE), terrorism and insurgency; improve the ability to anticipate and prevent surprises, through closely networked intelligence collaboration and upgradation of both human and technological intelligence; create an awareness regarding the critical importance of strategic foresight in regard to social and political developments; develop a net-centric information command structure that enables States and Central agencies to access and exploit information in a secure manner and

††The Question was actually asked on the floor of the House by Shri V. Hanumantha Rao.